ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 1551 /12-1(2) दिनांक 02/12 /2024::

2160/16सी.
7/12/24

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रुद्रप्रयाग।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत खुजीर बैण्ड से चौकी–बर्सिल एवं खुजीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिण्ड सतेराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/9719/2015

सन्दर्भ :– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–212/X-4/15/1(102)/2015 दिनांक 16.04.2015 एवं आपकी पत्र संख्या–2930/16सी0 दिनांक 30.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् उल्लिखित शर्तो के अनुपालन में धनराशि जमा किये जाने हेतु नोडल अधिकारी देहरादून की पत्र संख्या–3016 दिनांक 24.04.2015 **(संलग्नक–1)** के द्वारा निम्न निर्देश प्राप्त हुये–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना में 0–10 व्यास के 06 वृक्षों को घटाते हुये 47 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में 22 वृक्षों के 10 गुने अर्थात् 220 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है। अतः प्रस्तावित परियोजना में 47 वृक्षों के 10 गुने अर्थात 470 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से निर्धारित कराकर वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। वृक्षारोपण का प्राक्कलन भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित ईको क्लास V का वन घनत्व 0.1 के अनुसार 0.99 है0 वन भूमि के एन0पी0वी0 की देय धनराशि रुपये 6,50,430.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। अतः उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 निर्धारण का संशोधित प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उक्त निर्देशों के अनुसार शर्त संख्या–1 के अनुपालन में 470 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 7,52,250.58 या 7,52,251.00 मात्र का प्राक्कलन तथा शर्त संख्या–2 के अनुपालन में निर्धारित ईको क्लास V का वन घनत्व 0.1 के अनुसार 0.99 है0 वन भूमि के एन0पी0वी0 की देय धनराशि रुपये 6,50,430.00 मात्र का संशोधित प्रमाण पत्र इस कार्यालय की पत्र संख्या–2412/12–1(2) दिनांक 07.05.2015 **(संलग्नक–2)** के द्वारा नोडल कार्यालय देहरादून को पूर्व में ही प्रेषित कर आपको पृष्ठांकित/सूचित किया गया था।

वनभूमि सहायक

4. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1546/एन0पी0वी0 दिनांक 23.05.2015 **(संलग्नक–3)** के साथ संलग्न पत्रांक–409/25 बजट (एन0पी0वी0 एवं प्रतिकर भुग0–रा0से0)/2015–16 दिनांक 18.05.2015 **(संलग्नक–4)** मय कुल 26 प्रकरणों के एवज में जमा की गई धनराशियों का कॉलमवार विवरण सूची संलग्न कर नोडल कार्यालय देहरादून को अवगत कराया गया है, जिसके क्र0सं0–22 में प्रश्नगत प्रकरण अंकित है, जिसमें केवल एन0पी0वी0 हेतु आंकलित धनराशि रुपये 6,50,430.00 मात्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

07/12/24
(अ0अ0)
5/12/2024

5. तत्पश्चात् नोडल कार्यालय के पत्रांक–3731/1–41–4 दिनांक 23.06.2015 **(संलग्नक–5)** के द्वारा कुल 21 प्रकरणों के एवज में अवशेष धनराशियों का कॉलमवार विवरण सूची संलग्न कर आपके विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गई, जिसके क्र0सं0–14 में प्रश्नगत प्रकरण अंकित है, जिसमें 100 वृक्षों के वृक्षारोपण/10 गुना वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि रुपये 7,52,251.00 मात्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

क्रमशः–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

6. आप द्वारा प्रकरण के एवज में धनराशि जमा करने के पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की प्रेषित संशोधित अनुपालन आख्या में जमा की गई धनराशि नोडल कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार व इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र से आंकलित धनराशि से मेल नहीं खा रही है, अर्थात् **आप द्वारा शर्त संख्या–1 के अनुपालन में रुपये 101821.00 मात्र (अपूर्ण धनराशि) तथा एन0पी0वी0 हेतु कुल रुपये 6,50,430.00 + 3,44,728.00 = 995158.00 मात्र (पूर्ण धनराशि) जमा की गई है, जो कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में पूर्ण नहीं है।**

7. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में **47 वृक्षों के 10 गुने अर्थात 470 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु अवशेष धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुये)** प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1459/3–5–2 दिनांके 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2024–25 हेतु देय दर 1771.00 के अनुसार रुपये **470 Plant @ 1771.00 = 8,32,370.00 – 1,01,821.00 = 7,30,549.00 (सात लाख तीस हजार पांच सौ उन्चास) मात्र कैम्पा कोष में जमा की जानी है।**

अतः उक्त आंकलित धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखितत शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। आप द्वारा प्रेषित आख्या मूल में संलग्न कर उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner